प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्याः 3371 /79–5–2013–5/2010

सेवा में,

✓ राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक : 31 जनवरी 2013

विषयः– **परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा पर तैनाती के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–रा0प0नि0/4153/2012–13, दिनांक 10.12.2012 एवं पत्रांक–अंश0 अनुदेशक(1/3)/5017/2012–13, दिनांक 30.01.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा पर तैनाती के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–2679/79–5–2012–5/2010, दिनांक 03.10.2012 को निरस्त करते हुए निम्नवत प्रावधान किये जाते हैः–

hc copy sent.
APD(...m)

06 से 14 वय वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.4.2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के मानक तय किये गये है। 100 से अधिक छात्र संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति 35 छात्रों पर 01 अध्यापक (न्यूनतम 3 अध्यापक) एवं 01 प्रधानाध्यापक तथा 03 विषयों – कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिये 01–01 अंशकालिक अनुदेशक रखे जाने का प्रावधान है।

तद्नुसार वर्ष 2010–11 के सप्लीमैन्ट्री प्लान में भारत सरकार द्वारा 100 से अधिक छात्र संख्या वाले 13769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के पृथक–पृथक 13769 अंशकालिक अनुदेशकों के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 41307 अंशकालिक अनुदेशकों के पद स्वीकृत किये गये है।

SPD
1/2/2013

अंशकालिक अनुदेशकों के चयन/नियुक्ति की व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी :–

1. **<u>अंशकालिक अनुदेशकों के चिन्हांकन एवं चयन की प्रकिया</u> –**

(1) दिनांक 30.9.2012 की छात्र संख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चिन्हाकंन किया जायेगा जिनमें छात्रों की संख्या 100 से अधिक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित विद्यालयों की नामवार सूची निर्धारित प्रपत्र पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। चिन्हाकंन हो जाने के उपरान्त तीनों विषयों अर्थात कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के पृथक–पृथक आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार एवं विषयवार समाचार पत्रों के माध्यम से करायी जायेगी। आवेदन पत्र आन लाइन तीनों विषयों के पृथक–पृथक प्राप्त किया जायेगा।

दिये गये विवरण के आधार पर पृथक–पृथक तीनों विषयों की वरीयता सूची एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की जायेगी।

(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 100 से अधिक छात्र संख्या वाले चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची विकासखण्डवार तैयार की जायेगी तथा विज्ञप्ति के समय ऐसे विद्यालयों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी, जिनमें अंशकालिक अनुदेशकों की आवश्यकता है।

(3) अंशकालिक अनुदेशकों के 41307 पद तत्समय 71 जनपदों हेतु स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में 75 जनपद हैं। अतः नवीन जनपदों में मूल जनपद से ही उतने पद स्थानान्तरित किये जायेगें जितने पदों की नवीन जनपद में आवश्यकता है। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। मूल जनपद के बी0एस0ए0 एवं नवीन जनपद के बी0एस0ए0 ऐसे विद्यालयों की सूची को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करेंगे।

(4) अंशकालिक अनुदेशकों के आवदेन पत्र आन लाइन द्वारा प्राप्त किये जायेगें जिसकी विस्तृत प्रक्रिया आगे के प्रस्तरों में दी गई है।

(5) अंशकालिक अनुदेशकों को ₹ 7000/– प्रतिमाह नियत मानदेय देय होगा।

(6) चूंकि अंशकालिक अनुदेशकों को नियत मानदेय ₹ 7000/– प्रतिमाह पर रखा जा रहा है। अतः अभ्यर्थी को उसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है ताकि वह शिक्षण कार्य सुगमता से कर सके।

(7) आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक तथा सम्बन्धित विषय की प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के आधार पर प्रत्येक जनपद की एन0आई0सी0 द्वारा विषयवार पृथक–पृथक वरीयता क्रम में वर्गवार/श्रेणीवार चयन की सूची तैयार की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (Round off) किया जायेगा।

(8) कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा (work education) के अंशकालिक अनुदेशकों के चयन हेतु विषयवार तथा आरक्षण की पृथक–पृथक मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

(9) सभी जनपदों में औपबन्धिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच पूर्व से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार एक ही तिथि को होगी।

(10) जिला चयन समिति द्वारा काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होने पर, अभ्यर्थी को आन लाइन आवेदन की प्रति, ई–चालान की प्रति, सभी मूल अभिलेख (अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र), निवास प्रमाण पत्र तथा आरक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र, फोटो आई0डी0 (जिसका उल्लेख आन लाइन आवेदन में किया गया हो) एवं काउन्सिलिंग हेतु प्राप्त पत्र निर्धारित तिथि को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(11) अंशकालिक अनुदेशकों के चयन व तैनाती में अथवा अन्य विसंगतियों का निराकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक आख्या के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात जिलाधिकारी के पूर्वानुमोदन से किया जायेगा।

(12) अंशकालिक अनुदेशकों का चयन उन्हीं विद्यालयों हेतु किया जायेगा, जहां छात्रों की संख्या 100 से अधिक होगी।

(13) अभ्यर्थी जिस विकासखण्ड का निवासी है यथासम्भव उसी विकासखण्ड में उसे तैनाती दी जाये। प्रथम तैनाती में आवंटित विद्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं चयनित अभ्यर्थी को उसी विद्यालय में कार्य करना होगा।

(14) कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के अनुदेशकों को कक्षा 6, 7 व 8 में सम्बन्धित विषय की सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कक्षायें लेनी होगी। उक्त तीनों विषयों के पाठ्यक्रम ...

होगें जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य है। इस हेतु प्रत्येक अनुदेशक को सप्ताह में न्यूनतम 24 कालांश में अध्यापन कार्य करना अनिवार्य होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार अंशकालिक अनुदेशकों से विद्यालय समय में अन्य विषयों का अध्यापन कार्य भी लिया जा सकेगा।

2. <u>चयन समिति</u> –

अंशकालिक अनुदेशकों के चयन/नियुक्ति हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है:–

(1) प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद) – अध्यक्ष
(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) – सदस्य–सचिव
(3) सम्बन्धित जनपद के मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज के वरिष्ठतम प्रधानाचार्य – सदस्य
(4) जिलाधिकारी (सम्बन्धित जनपद) द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी – सदस्य

यदि उपर्युक्त रीति से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसे जाति/जनजाति या वर्ग जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है के व्यक्तियों को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेंगे।

(ii) उक्तवत् गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(iii) चयनोपरान्त सूची का अनुमोदन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।

3. <u>अंशकालिक अनुदेशकों की शैक्षिक अर्हता</u> –

उपरोक्त तीनों विषयों के अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा पर तैनाती हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नवत् निर्धारित की गई है–

(अ) शैक्षिक अर्हता– कला शिक्षा (Art Education)–

कला शिक्षा हेतु अशंकालिक अनुदेशकों की शैक्षिक अर्हता निम्नवत् होगी–

इण्टरमीडिएट कला विषय के साथ तथा बी0ए0

अथवा

ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बी0ए0

अथवा

इण्टरमीडिएट के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त कला में विशेष उपाधि अथवा डिप्लोमा।

(ब) शैक्षिक अर्हता– स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (Health & Physical Education)–

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु अशंकालिक अनुदेशकों की शैक्षिक अर्हता निम्नवत् होगी–

(1) स्नातक तथा

(2) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता।

(स) शैक्षिक अर्हता – कार्य शिक्षा (Work Education) –

कार्य शिक्षा (Work Education) में 04 विषय क्रमशः कंम्प्यूटर शिक्षा, गृह शिल्प एवं संबंधित कला, उद्यान विज्ञान एवं फल सरंक्षण तथा कृषि विषय प्राविधानित हैं। कार्य शिक्षा के उक्त 04 विषयों में से प्रति विद्यालय एक ही विषय का चयन करते हुए संबंधित विषय के एक अंशकालिक अनुदेशक की नियुक्ति विद्यालय में की जायेगी। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कम्प्यूटर शिक्षा

के लिए 35 प्रतिशत, गृह शिल्प एवं संबंधित कला के लिए 35 प्रतिशत, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के लिए 15 प्रतिशत तथा कृषि विषय के लिए 15 प्रतिशत विद्यालयों में विषयवार अंशकालिक अनुदेशकों का चयन कराया जायेगा।

(i) कम्प्यूटर शिक्षा– (Computer Education)–

कम्प्यूटर शिक्षा के अशंकालिक अनुदेशकों को उन्हीं विद्यालयों हेतु चयनित किया जायेगा जो कम्प्यूटर ऐडेड लर्निंग से आच्छादित होगें तथा जिनमें नामाकंन 100 से अधिक होगा। कम्प्यूटर के अनुदेशकों हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नवत् होगी–

बी0एस0सी0 इन कम्प्यूटर साइन्स

अथवा

बी0सी0ए0

अथवा

DOEACC से "A" लेविल कोर्स के साथ स्नातक

(ii) गृहशिल्प एवं सम्बन्धित कला –

गृहशिल्प हेतु अशंकालिक अनुदेशकों की शैक्षिक अर्हता निम्नवत् होगी–

गृह विज्ञान (होम साइन्स) या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनोमिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृहकला (होम आर्ट) में स्नातक।

(iii) उद्यान विज्ञान एवं फलसंक्षरण–

बी0एस0सी0 कृषि के साथ फल संरक्षण का विशेष डिप्लोमा।

(iv) कृषि शिक्षा–

बी0एस0सी0 कृषि।

नोटः– आन–लाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा इंगित की गई किसी एक प्रोफेशनल उपाधि/डिप्लोमा को ही सम्मिलित किया जायेगा।

4. आयु –

(1) वर्तमान शैक्षिक सत्र 2012–13 में अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2012 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष अधिक होगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिये आयु की उच्चतर सीमा में छूट इस प्रकार दी जायेगी कि "यदि सेना के किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गई सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह अनुदेशक के पद पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।"

(4) विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक मान्य होगी।

5. आरक्षण –

(1) जनपद स्तर पर विषयवार (कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा हेतु) अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु पृथक–पृथक आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।

(2) विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वय) का कोटा चयन की तिथि को उ0प्र0 लोक सेवा अधिनियम 1993, 1997 तथा 1999 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा। इन आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिससे वे सम्बन्धित है।

6. **अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल** –

(1) अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल अधिकतम 11 माह का होगा एवं किसी भी शैक्षिक सत्र में 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगा तदानुसार अंशकालिक अनुदेशकों को 31 मई तक मानदेय देय होगा।

(2) अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व अवश्य प्रारम्भ की जाये एवं जिलाधिकारी की अनुमति से नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(3) जिन अंशकालिक अनुदेशकों की सेवाएं उपयुक्त न पाई जाये उनके सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य सहित आकंलन किया जाये। एकाएक सेवा समाप्त न की जायेगी अपितु ऐसे कर्मी को अपनी सेवा में सुधार लाने के लिये सुझाव/चेतावनी जिलाधिकारी की अनुमति से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी। यदि अनुदेशक की सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती है तो जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त किया जायेगा।

(4) गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। संविदा समाप्ति हेतु निर्गत आदेश जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही मान्य होगा।

7. **अवकाश** –

(1) अंशकालिक अनुदेशकों को वर्ष में अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा।

(2) अनाधिकृत अनुपस्थिति पर मानदेय देय नहीं होगा।

(3) चेतावनी के उपरान्त भी अनाधिकृत अनुपस्थित पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संविदा समाप्ति पर भी विचार किया जा सकेगा।

8. **अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय एवं मानदेय भुगतान की प्रकिया**–

(1) अंशकालिक अनुदेशकों को ₹ 7000/– प्रतिमाह नियत मानदेय देय होगा।

(2) अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान जनपद स्तर से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जायेगा।

(3) जिस उच्च प्राथमिक विद्यालय में अंशकालिक अनुदेशक की नियुक्ति होगी, उस विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों का वेतन जिस बैंक से आहरित होता है उसी बैंक में अंशकालिक अनुदेशक का खाता भी खोला जायेगा।

(4) अनुदेशकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति/अवकाश के आधार पर (जो व्यवस्था नियमित शिक्षकों हेतु लागू है) प्रत्येक माह जनपद द्वारा सीधे अनुदेशकों के खाते में मानदेय भेजा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अनुदेशकों का मानदेय भुगतान चेक/नकद से नहीं किया जायेगा।

9. **<u>अंशकालिक अनुदेशकों का प्रशिक्षण</u>** –

(1) अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती के उपरान्त उन्हें 05 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। इस अवधि में अंशकालिक अनुदेशकों को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

(2) प्रशिक्षण अवधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित विषय यथा कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के पाठ्यक्रम का उन्हें विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(3) प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सम्बन्धित विषयों के अतिथि विशेषज्ञों को जो इण्टरमीडिएट कालेज/विशिष्ट संस्थानों के प्रवक्ता स्तर से कम न हो, को आमंत्रित किया जायेगा इस हेतु उन्हें एक दिन में दो व्याख्यानों हेतु कुल ₹ 500/– मानदेय देय होगा।

10. **<u>अंशकालिक अनुदेशकों का कतर्व्य एवं दायित्व</u>** –

(1) अंशकालिक अनुदेशक अपने शिक्षण कार्य के दायित्वों का निवर्हन सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के प्रशासनिक नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में करेंगे।

(2) बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/ पर्यवेक्षण में अंशकालिक अनुदेशक अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति उत्तरदायी होगें।

(3) सम्बन्धित विषयों के अंशकालिक अनुदेशक कक्षा 6–8 के छात्र छात्राओं को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम एवं पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पढ़ायेंगे।

11. **<u>अंशकालिक अनुदेशकों के चयन हेतु आन लाइन आवेदन/चयन प्रकिया</u>**–

(1) अंशकालिक अनुदेशकों के चयन हेतु आवेदन पत्र **आन लाइन** प्राप्त किये जायेगें। आन लाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को ई– आवेदन पत्र के नाम से जाना जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का उसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(3) किसी भी आवेदक को हार्ड कापी में आवेदन नहीं करना है।

(4) अभ्यर्थियों से निर्धारित ई– आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त आवश्यक सूचनाएं मांगी जायेगी। अभ्यर्थियों से ई– आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

(5) ई– आवेदन पत्र का प्रारूप विज्ञापन में निर्दिष्ट बेवसाइट पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा। अन्तिम निर्धारित तिथि को रात्रि समय 12:00 बजे तक ही आन लाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा।

(6) ई–चालान जमा करने की निर्धारित तिथि तक धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। ई– आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह का समय मात्र ई–चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होगा।

(7) ई–आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय स्वीकार्य नहीं होगें।

(8) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनाएं अंकित की जायेगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेगें/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गई सूचना से भिन्न सूचना को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) कौंसलिंग की तिथि को मूल अभिलेखों की जांच के समय ई–आवेदन में उल्लिखित से इतर सूचनाओं से इतर किसी भी अन्य प्रकार की सूचनाओं/अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(10) अभ्यर्थियों द्वारा ई– आवेदन पत्र में यह अंकित करना होगा कि यदि विवरण त्रुटिपूर्ण एवं/असत्य है तो न केवल उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त होगा अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(11) कौंसलिंग के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसी फोटो पहचान पत्र दिखाकर पुष्टि करानी होगी जिस फोटो आई–डी का उल्लेख आन लाइन आवेदन में किया है।

(12) अगर किसी अभ्यर्थी का ई– चालान द्वारा शुल्क स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा हो गया है तो वह एक से अधिक अथवा पुनः ई– आवेदन पत्र नहीं भर सकेगा।

12. <u>निर्धारित शुल्क</u> –

(1) ई– आवेदन पत्र हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क ₹ 100/– होगा तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये शुल्क ₹ 200/ होगा जो सम्बन्धित जिले के **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम** से जमा किया जायेगा एवं विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा। निर्धारित शुल्क को ई– चालान द्वारा केवल स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने के दो बैंक कार्य दिवस के बाद अभ्यर्थी अपने आन लाइन आवेदन पत्र के अवशेष भाग में प्रविष्टि कर सकेगा।

(2) आन लाइन आवेदन submit करने के बाद आवेदक ई– आवेदन पत्र का प्रिन्ट प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगें तथा ई– चालान का प्रिन्ट भी आन लाइन आवेदन के क्रम में प्राप्त करेंगें।

(3) ई– चालान का प्रिन्ट आवेदक को आन लाइन के आवेदन के दिनांक से 48 घंटे के अंतराल के बाद स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जाकर ई– चालान में उल्लिखित आवेदन शुल्क की धनराशि जमा कर आवेदक की प्रति मुहर लगवाकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

(4) ई–चालान प्रिन्ट में दो भाग निर्दिष्ट होंगे–एक भाग "बैंक की प्रति" एवं दूसरा भाग "आवेदक की प्रति"। बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने पर बैंक अपनी प्रति काटकर आवेदन शुल्क जमा करने की औपचारिकताएं पूर्ण करेगा और उसी समय शेष भाग–**आवेदक की प्रति** मुहर लगाकर आवेदक को वापस कर देगा।

(5) ई–चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने पर आवेदक द्वारा बैंक को कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करना हैं, सेवा शुल्क की राशि आवेदन शुल्क की राशि में निहित है जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा इस कार्य हेतु ₹ 20/– निर्धारित की गयी है।

(6) ई– चालान द्वारा आवेदन शुल्क आन लाइन आवेदन के दिनांक/दिवस को स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा नहीं हो सकेगा। ई– चालान एकमात्र आवेदन शुल्क भुगतान का माध्यम उपलब्ध होगा, अन्य किसी माध्यम से आवेदन का शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। ई– चालान जमा करने पर ही आन लाइन आवेदन की प्रकिया पूर्ण होगी। ई– चालान के माध्यम से आवेदन शुल्क स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अलावा किसी भी बैंक से किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(7) प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ई– चालान से आवेदन शुल्क की धनराशि प्राप्त किये जाने के लिये अनिवार्यता स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निकटवर्ती शाखा में खाता खोलना है जिसकी खाता संख्या एवं IFSC कोड की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसके आधार पर शाखा प्रबन्धक, मेन टेकनिकल ब्रान्च एस0बी0आई0 लखनऊ द्वारा आवेदन शुल्क के अनुसार धनराशि इलेक्ट्रानिक्स ट्रांसफर की जा सके। आन लाइन आवेदन शुल्क की धनराशि का उपभोग चयन से सम्बन्धित प्रयोजन हेतु अन्य आकस्मिक व्यय के रूप में किया जायेगा।

(8) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुल्क की राशि के उचित उपयोग हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

13. <u>आन लाइन आवेदन प्रकिया सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व</u>–

(1) आन लाइन आवेदन हेतु साफ्टवेयर के निर्माण एवं विकास कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(2) एन0आई0सी0 लखनऊ को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेगी जिससे आन लाइन आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी साफटवेयर को विकसित कराया जा सके।

(3) आन लाइन आवेदन प्रकिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क ई– चालान द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से कराया जाये। इस हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अधिकृत अधिकारी सभी आवश्यक दशायें एवं शर्तें परस्पर बैठक करते हुए निर्धारित कर लें। बैंक के साथ लिखित अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 विधिक प्रालेख के रूप में संयुक्त हस्ताक्षरित कर अभिलेखित कर लें।

(4) आन लाइन आवेदन के दिवस/दिनांक को अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क के लिये ई– चालान की प्रिन्ट प्राप्त कर सकेगा और इस प्रिन्ट के आधार पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा पर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही कर सकेगा।

(5) प्रत्येक कार्य दिवस में होने वाले आन लाइन आवेदन पत्र की डाटा फाईल्स एन0आई0सी0 लखनऊ के सरवर से राज्य परियोजना कार्यालय को ई–मेल द्वारा सायं 5:00 बजे के उपरान्त प्राप्त होगी। इन सभी डाटा फाईल्स को राज्य परियोजना कार्यालय के निर्दिष्ट तकनीकी कार्मिक/सहायक द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सरवर/ई-मेल पर ट्रांसफर करना होगा। बैंक को प्रेषित डाटा फाईल्स के आधार पर ही स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा पर ई– चालान द्वारा आवेदन शुल्क डाटा फाईल्स से अभ्यर्थी की पुष्टि कर जमा किया जा सकेगा।

(6) एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के चयन हेतु विकसित साफ्टवेयर जिस पर आन लाइन आवेदन की प्रकिया सुनिश्चित की जानी है, के द्वारा ही साफ्टवेयर जनित मेरिट जनपदवार प्राप्त होगी जिसके आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार चयन की कार्यवाही जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्पादित की जायेगी।

(7) एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एवं अनुश्रवण हेतु राज्य परियोजना निदेशक को लाग–इन आई0डी0 एवं पास–वर्ल्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) एन0आई0सी0 द्वारा अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची (Waiting list) भी तैयार कर उपलब्ध करायी जायेगी जो एक वर्ष तक मान्य होगी।

14. अंशकालिक अनुदेशकों की चयन प्रकिया सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है –

1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराने की तिथि	25–02–2013
2	(क) आन लाइन आवेदन पत्र/ e- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि। (ख) ई–चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि।	23–03–2013 तक 21–03–2013 तक
3	एन0आई0सी0 द्वारा आवेदन पत्रों के आधार पर मेरिट सूची (विषयवार एवं आरक्षणवार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना। (साफ्टवेयर जनित मेरिट क्रम के साथ)	08–04–2013
4	जिला चयन समिति द्वारा कौंसलिंग	30–04–2013
5	जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना	10–05–2013
6	अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती	15–05–2013
7	अंशकालिक अनुदेशकों का प्रशिक्षण।	16 मई से 30 जून, 2013 के मध्य
8	आंवटित विद्यालय में अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा कार्यभार ग्रहण करना।	01–07–2013

3– अतएव अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 124 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115 को सूचनार्थ प्रेषित ।

2– शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र की एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि समस्त को अपने स्तर से उपलब्ध भी कराने का कष्ट करें।

3– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ ।

4– निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, छठां तल, लखनऊ ।

5– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/प्राचार्य डायट/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0 प्र0।

6– सचिव/वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

7– मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य/प्रधान कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ।

8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

आर0टी0ई0 के तहत सप्लीमेण्टरी प्लान 2010–11 हेतु स्वीकृत अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव हेतु अंशकालीन अनुदेशक (Part Time Instructor) का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	अंश कालीन अनुदेशक(Part-time Instructors)			
		कला शिक्षा	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	कार्यानुभव	योग
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	164	164	164	492
2	अलीगढ़	160	160	160	480
3	इलाहाबाद	353	353	353	1059
4	अम्बेडकर नगर	170	170	170	510
5	औरैया	81	81	81	243
6	आजमगढ़	374	374	374	1122
7	बदायूँ	330	330	330	990
8	बागपत	37	37	37	111
9	बहराइच	218	218	218	654
10	बलिया	242	242	242	726
11	बलरामपुर	61	61	61	183
12	बॉदा	284	284	284	852
13	बाराबंकी	332	332	332	996
14	बरेली	259	259	259	777
15	बस्ती	193	193	193	579
16	भदोही	185	185	185	555
17	बिजनौर	230	230	230	690
18	बुलंदशहर	241	241	241	723
19	चन्दौली	235	235	235	705
20	चित्रकूट	139	139	139	417
21	देवरिया	183	183	183	549
22	एटा	80	80	80	240
23	इटावा	80	80	80	240
24	फैजाबाद	181	181	181	543
25	फर्रूखाबाद	131	131	131	393
26	फतेहपुर	145	145	145	435
27	फिरोजाबाद	131	131	131	393
28	गौतमबुद्ध नगर	28	28	28	84
29	गाजियाबाद	86	86	86	258
30	गाजीपुर	193	193	193	579
31	गोण्डा	201	201	201	603
32	गोरखपुर	238	238	238	714
33	हमीरपुर	144	144	144	432
34	हरदोई	460	460	460	1380

क्र0सं0	जनपद का नाम	अंश कालीन अनुदेशक(Part-time Instructors)			
		148	148	148	444
35	हाथरस	148	148	148	444
36	जालौन	113	113	113	339
37	जौनपुर	338	338	338	1014
38	झांसी	236	236	236	708
39	जे0पी0नगर	138	138	138	414
40	कन्नौज	159	159	159	477
41	कानपुर देहात	139	139	139	417
42	कानपुर नगर	148	148	148	444
43	काशी राम नगर	56	56	56	168
44	कौशाम्बी	67	67	67	201
45	कुशीनगर	154	154	154	462
46	लखीमपुरखीरी	423	423	423	1269
47	ललितपुर	250	250	250	750
48	लखनऊ	180	180	180	540
49	महाराजगंज	153	153	153	459
50	महोबा	95	95	95	285
51	मैनपुरी	130	130	130	390
52	मथुरा	114	114	114	342
53	मऊ	177	177	177	531
54	मेरठ	78	78	78	234
55	मिर्जापुर	253	253	253	759
56	मुरादाबाद	220	220	220	660
57	मुजफ्फरनगर	137	137	137	411
58	पीलीभीत	275	275	275	825
59	प्रतापगढ़	210	210	210	630
60	रायबरेली	276	276	276	828
61	रामपुर	177	177	177	531
62	सहारनपुर	156	156	156	468
63	सन्त कबीर नगर	133	133	133	399
64	शाहजहाँपुर	313	313	313	939
65	सिद्धार्थनगर	124	124	124	372
66	सीतापुर	565	565	565	1695
67	सोनभद्र	218	218	218	654
68	श्रावस्ती	47	47	47	141
69	सुल्तानपुर	340	340	340	1020
70	उन्नाव	246	246	246	738
71	वाराणसी	214	214	214	642
	योग	**13769**	**13769**	**13769**	**41307**

संख्याः 632 /79-5-2013-29/2009टी.सी.

प्रेषक,

श्री सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 21 फरवरी, 2013

विषयः **परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा पर तैनाती के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2013 में संशोधन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3371/79-5-2013-5-2010 दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा पर तैनाती के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये है।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2013 में कतिपय संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् हैः-

APD (M)

क्र0सं0	पूर्व	वर्तमान संशोधन
1	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-1(7) -** आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक तथा सम्बन्धित विषय की प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के आधार पर प्रत्येक जनपद की एन0आई0सी0 द्वारा विषयवार पृथक-पृथक वरीयता क्रम में वर्गवार/श्रेणीवार चयन की सूची तैयार की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (Round off) किया जायेगा।	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-1(7) -** "अंशकालिक अनुदेशकों के चिन्हाकंन एवं चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदकों के आनलाइन आवेदन पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक तथा सम्बन्धित विषय की प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा (प्रस्तर-3 के अ, ब एवं स में वर्णित है) के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद की विषयवार पृथक-पृथक वरीयता क्रम में वर्गवार/श्रेणीवार, मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की उक्त परीक्षाओं में प्राप्त प्रतिशत के योग का औसत समान होगा तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि आयु भी समान होगी तो ऐसी दशा

S.P.D. 22/2/2013

APD 25/2/13

G.O.Anshkalik.HCL

		में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित किया जायेगा।"
2	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-8(4) -** अनुदेशकों की उपस्थिति/ अनुपस्थिति/अवकाश के आधार पर (जो व्यवस्था नियमित शिक्षकों हेतु लागू है) प्रत्येक माह जनपद द्वारा सीधे अनुदेशकों के खाते में मानदेय भेजा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अनुदेशकों का मानदेय भुगतान चेक/नकद से नहीं किया जायेगा।	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-8(4) -** प्रत्येक माह जनपद द्वारा सीधे अनुदेशकों के खाते में मानदेय भेजा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय भुगतान चेक/नकद से नहीं किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अंशकालिक अनुदेशकों की उपस्थिति का सत्यापन प्राप्त कर ब्लाक की संकलित सूची सत्यापित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये जिससे भुगतान में कोई अनियमितता न हो पाये।
3	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-8(5) -** शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2013 में उल्लिखित नहीं है।	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-8(5) -** अंशकालिक अनुदेशकों को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानदेय देय होगा।
4	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-9(1) -** अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती के उपरान्त उन्हें 05 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। इस अवधि में अंशकालिक अनुदेशकों को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-9(1) -** अंशकालिक अनुदेशकों की तैनाती के उपरान्त उन्हें 05 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। इस अवधि में अंशकालिक अनुदेशकों को किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।
5	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-11(2) -** अभ्यर्थी का उसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-11(2) -** अभ्यर्थी का उसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
6	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-11(6) -** ई-चालान जमा करने की निर्धारित तिथि तक धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। e- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह का समय मात्र ई-चालान द्वारा आवेदन शुल्क	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-11(6) -** "ई-चालान जमा करने की निर्धारित तिथि तक धनराशि भारत के स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी। ई-चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 21.3.2013

	जमा करने हेतु अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होगा।	तथा आन लाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 23.3.2013 होगी।"
7	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-12(5) -** e- चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने पर आवेदक द्वारा बैंक को कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करना हैं, सेवा शुल्क की राशि आवेदन शुल्क की राशि में निहित है जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा इस कार्य हेतु ₹ 20/- निर्धारित की गयी है।	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-12(5) -** "ई-चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने पर आवेदक द्वारा बैंक को कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करना हैं, सेवा शुल्क की राशि आवेदन शुल्क की राशि में निहित है जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा इस कार्य हेतु ₹30/- निर्धारित की गयी है।"
8	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-14 -** समय-सारिणी में अंकन नहीं है।	**प्रस्तर-2 का उप प्रस्तर-14 -** "अंशकालिक अनुदेशकों की चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने हेतु आन लाइन रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 18.3.2013 होगी।"

3- शासनादेश संख्या 3371/79-5-2013-5-2010 दिनांक 31 जनवरी, 2013 में उल्लिखित प्रस्तरों में संशोधन उक्त सीमा तक मान्य होगा। शेष निर्देश यथावत् होगें।

भवदीय,

22.2.13

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 124 सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र की एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित की समस्त को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, छठां तल, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, / मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक / प्राचार्य, डायट / मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/ जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. सचिव/ वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य/ प्रधान कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

22.2.13.

(ममता श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।